

प्रेषक,

संख्या तिवारी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1-समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
- 2- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-7

लखनऊ दिनांक: 12 अक्टूबर, 2018

विषय:-प्रदेश में स्थापित जन सेवा केन्द्रों/लोकवाणी केन्द्रों/जन सुविधा केन्द्रों/ई-सुविधा केन्द्रों के माध्यम से ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल द्वारा माध्यमिक शिक्षा परिषद की जनहित गारण्टी से सम्बन्धित सेवाओं को जन सामान्य तक उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

जनहित गारण्टी के संबन्धित सेवाओं को जन सामान्य तक पारदर्शी एवं सहज सुलभ रीति से उपलब्ध कराना उत्तर प्रदेश शासन की प्रतिबद्धता है। अतः इस परिप्रेक्ष्य में माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 की निम्नांकित 09 सेवाओं को जिन्हें अब तक ऑफलाइन प्रविधि से उपलब्ध कराया जाता रहा है, उन्हें ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से जन सामान्य को ऑनलाइन प्रविधि से उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है:-

- 1-मूल प्रमाणपत्र जारी करने पर निर्णय करना।
- 2-डुप्लीकेट प्रमाणपत्र जारी करना।
- 3-मूल अंकपत्र जारी करना।
- 4-डुप्लीकेट अंकपत्र जारी करना।
- 5-संशोधित प्रमाणपत्र जारी करना।
- 6-संशोधित अंकपत्र जारी करना।
- 7-निरस्त परीक्षाफल का निस्तारण करना।
- 8-रोके गये परीक्षाफल का निस्तारण करना।
- 9-अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण परीक्षाफल को ठीक करने पर निर्णय।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद की उक्त चयनित सेवाओं को ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से इन्टीग्रेट करने के उपरान्त जन सेवा केन्द्रों/लोकवाणी केन्द्रों/जन सुविधा केन्द्रों तथा ई-सुविधा केन्द्रों पर आम नागरिकों से प्रत्येक शासकीय सेवा के प्रत्येक ट्रान्जेक्शन के लिए यूजर चार्ज आई0टी0 विभाग के नियमों के अनुसार लिये जायेंगे।

3- यदि कोई नागरिक सीधे माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 के विभागीय पोर्टल पर सेवा हेतु आवेदन करता है तो उस पर उपरोक्त यूजर चार्ज लागू नहीं होंगे, किन्तु ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से आवेदन द्वारा विभाग की सेवाओं को प्राप्त करने हेतु अपने निकटतम जन सेवा

